

अनुमति की शर्तें ।

- (i) अनुमति प्राप्त/प्राप्त होने के विना ही स्वीकृति स्थापित किए जा सकते हैं ।
- (ii) अनुमति की शर्तों का विनाह (व्यक्तिगत, राजस्वगत, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शर्तों के विनाह वा कोई उपस्थिति नहीं होगी ।
- (iii) अनुमति प्राप्त होने के लिए आवश्यक शर्तों का पालन किया जाएगा ।
- (iv) अनुमति प्राप्त होने के विनाह निर्माण कार्य करने पर स्वीकृति विरुद्ध की जा सकती है ।

रखाल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

नगरपालिका नगर निगम जोधपुर

आवेदन क्रमांक 638 दिनांक 29/7/2020

श्री मोहम्मद इफ्तेखार श्री मोहम्मद अयूब

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

P.No: 18 सेक्टर डी कमला नेशनल -
नगर प्रथम विस्तार

धारा 184 (7) (म) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23676/- जमा

करिये रसीद नुम्बरा 1021/3435, 3436

दिनांक 29/07/2020 को जमा करा दी है ।

29/07/2020

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम जोधपुर

Received

Pamij Vankh
Jodhpur

30/7/2020

9783235000